रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937
No. 367] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

सा.का.नि. 458(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अनिधियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम, 2009 की अनुसूची 1 में, —

(क) क्रम सं. 15 पर, संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) पद के सामने, स्तंभ (12) के अधीन, मद (ii) में "प्रतिनियुक्ति द्वारा" उपशीर्ष के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा"

आवश्यक : राष्ट्रीय सूचना केंद्र या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत ऐसा कोई सूचना प्रौद्योगिकी वृत्तिक, जिसके पास कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य के साथ 7600 रूपए ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव या 6600 रूपए या समतुल्य ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो।";

(ख) क्रम सं. 16 पर, उप निदेशक (कारपोरेट सेवा) पद के सामने, स्तंभ (12) के अधीन, मद (i) में "प्रोन्नति द्वारा" उपशीर्ष के अधीन प्रविष्टि में 'सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त तथा लेखा' शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ग) क्रम सं. 18 पर, उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) पद के सामने, स्तंभ (12) के अधीन, मद (ii) में "प्रतिनियुक्ति द्वारा" उपशीर्ष के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा :

आवश्यक : राष्ट्रीय सूचना केंद्र या किसी अन्य सरकारी संगठन में कार्यरत ऐसा कोई सूचना प्रौद्योगिकी वृत्तिक, जिसके पास कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक डिग्री या उसके समतुल्य या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य के साथ 6600 रूपए या समतुल्य ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का अनुभव हो।";

(घ) क्रम सं. 20 पर, सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) पद के सामने, स्तंभ (12) के अधीन, "प्रतिनियुक्ति द्वारा" उपशीर्ष के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(2) प्रतिनियुक्ति द्वारा:

सदृश पद पर या ग्रेड में कार्यरत ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी वृत्तिक या जिसके पास 5400 रूपए ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रूपए के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रूपए के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रूपए ग्रेड वेतन या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव और जिसके पास कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री या समतुल्य या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य रखता हो।"

[फा. सं. 5/41/2014-सीएस]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 670(अ) तारीख 14 सितंबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए :—

1. सा.का.नि. 344(अ) तारीख 22 अप्रैल, 2010 ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2015

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009, namely:—

1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009,-

(a) at serial number 15, against the post of Joint Director (IT), under column 12, for the entries in item (ii), under the sub-heading "By deputation", the following entries shall be substituted namely:—

"(II) By Deputation:

Essential: An Information Technology professional working in the National Informatics Centre or any other Government Organisation with Bachelor's Degree in Computer Science or Computer Applications or equivalent or Master's Degree in Computer Science or Computer Applications or equivalent with five years experience in the grade pay of Rs. 7600 or ten years in the grade pay of Rs. 6600 or equivalent.";

(b) at serial number 16, against the post of Deputy Director (Corporate Services), under column 12, in item (i), under the sub-heading "By promotion" the entries 'Information Technology and Finance and Accounts' shall be omitted.;

(c) in serial number 18, against the post of Deputy Director (Information Technology), under column 12, for the entires in item (ii), under the sub-heading "By deputation", the following entires shall be substituted, namely:—

"(II) By Deputation:

Essential : An information Technology professional working in the National Informatics Centre or any other Government Organisation with Bachelor's Degree in Computer Science or Computer Applications or equivalent or Master's Degree in Computer Science or Computer Applications or equivalent with five years experience in the grade pay of Rs. 6600 or equivalent.";

(d) at serial number 20, against the post of Assistant Director (Information Technology), under column 12, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"By Deputation:

Information Technology Professional working in analogous post or grade or five years experience in the grade pay of Rs. 5400 or six years experience in the grade pay of Rs. 4800 or seven years experience in the grade pay of Rs. 4600 or ten years experience in the grade pay of Rs. 4200 or equivalent and possessing the qualification of Bachelor's Degree in Computer Science or Computer Applications or equivalent or Master's Degree in Computer Science or Computer Applications or equivalent.".

[F. No. 5/41/2014-CS]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 670(E), dated the 14th September, 2009 and subsequently amended vide:—

1. G.S.R. 344(E), dated the 22nd April, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.